अध्याय 12

नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा प्रदत्त भौतिक सेवाओं का मूल्यांकन

12.1 13वें वित्त आयोग ने नगरीय निकायों द्वारा प्रदाय की जा रही सेवाओं के अंतर को चिन्हित करते हुए यह अनुशंसा की थी, कि वर्ष के प्रारंभ में लक्ष्य का निर्धारण हो एवं वर्ष के अंत में उपलब्धि की समीक्षा हो। तद्नुसार राज्य शासन ने विभिन्न नगरीय निकायों हेतु विभिन्न वर्षों के लिए लक्ष्य के मानकों का निर्धारण किया है। यह नगरीय निकायों द्वारा उपलब्ध करायी गई सेवाओं के स्तर में सुधार के लिए एक अच्छा प्रयास सिद्ध हो सकता है, परन्तु आयोग को यह आशंका है कि जब तक लक्ष्य के मानकों के पूर्व निर्धारण एवं प्राप्त की गई उपलब्धि के वास्तविक मूल्यांकन की व्यवस्था को आत्मसात नहीं किया जाता है तब तक किये गये प्रयास टिकाउ नहीं होंगे और यह परिलक्षित भी हो रहा है।

अमृत मिशन

12.2 भारत शासन के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जून 2015 में अमृत मिशन प्रारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य आधारभूत संरचनाओं का संवर्धन कर जीवन स्तर में सुधार करना है। छत्तीसगढ़ में 9 शहरों का अमृत मिशन के क्रियान्वयन हेतु चयन किया गया है। जिसमें मुख्यतः निम्न विषयों पर जोर दिया गया है :- जल प्रदाय, नालियों से गंदे पानी का निकास, सेप्टेज प्रबंधन, बरसाती पानी के निकासी की समुचित व्यवस्था जिससे बाढ़ की समस्या कम हो, सुधार प्रबंधन एवं क्षमता निर्माण। अमृत मिशन हेतु चयनित नगरों एवं उनकी जनसंख्या (जनगणना 2011) को निम्न तालिका 12.1 में दर्शाया गया है।

तालिका 12.1
अमृत मिशन हेतु चयनित नगर एवं उनकी जनसंख्या (जनगणना 2011)

क्रमांक	शहर का नाम	जनसंख्या (लाख में)
1	रायपुर नगर पालिक निगम	10.48
2	भिलाई नगर पालिक निगम	6.25
3	कोरबा नगर पालिक निगम	3.63
4	बिलासपुर नगर पालिक निगम	3.49
5	दुर्ग नगर पालिक निगम	2.67
6	रायगढ़ नगर पालिक निगम	1.66
7	राजनांदगांव नगर पालिक निगम	1.63
8	अंबिकापुर नगर पालिक निगम	1.25
9	जगदलपुर नगर पालिक निगम	1.25

नगरस्रोत : नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक प्रतिवेदन 2017-18

अमृत मिशन हेतु राज्य के लिए रू. 2192.76 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है, जिसकी पहली किश्त रू. 450.00 करोड़ प्राप्त हो चुकी है। जल प्रदाय हेतु रू. 1706.92 करोड़, सेप्टेज प्रबंधन हेतु रू. 447.44 करोड़, बागवानी एवं फलोद्यान विकास हेतु रू. 38.40 करोड़ की राशि उपलब्ध करायी गई है। (तालिका 12.2)

तालिका 12.2
अमृत मिशन वर्ष 2015-20 हेतु आबंटन

(राशि करोड़ रू. में)

कार्य	भिलाई	कोरबा	अंबिकापुर	राजनांदगांव	बिलासपुर	जगदलपुर	रायपुर	दुर्ग	रायगढ़	कुल
जल प्रदाय	242.73	229.99	106.98	223.68	304.37	119.42	186.75	145.00	148.00	1706.92
सेप्टेज प्रबंधन	20.00	18.00	8.00	14.00	21.79	10.00	330.65	15.00	10.00	447.44
बागवानी एवं फलोद्यान	4.00	4.00	4.00	4.00	6.00	3.00	7.00	3.20	3.20	38.40
कुल	**266.73**	**251.99**	**118.98**	**241.68**	**332.16**	**132.42**	**524.40**	**163.20**	**161.20**	**2192.76**

स्रोत - नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक प्रतिवेदन 2017-18

जल प्रदाय

12.3 जनगणना 2011 के अनुसार 44.21 प्रतिशत परिवारों को शोधित जल प्रदाय एवं 18.25 प्रतिशत परिवारों को उनके परिसर में अशोधित जल प्रदाय की व्यवस्था है। शेष बचे हुए 37.54 प्रतिशत परिवार अन्य स्रोतों यथा ट्यूबवेल, बोरवेल आदि पर निर्भर हैं। कुल शहरी आबादी का 27.68 प्रतिशत को उनके परिसर में, 13.64 प्रतिशत को 100 मीटर के अंदर शोधित जल प्रदाय उपलब्ध है, और 2.89 प्रतिशत आबादी को लंबी दूरी से पानी लाना पड़ता है। नीचे दर्शित तालिका से यह स्पष्ट है कि लगभग 33 लाख नगरीय जनसंख्या (लगभग 56 प्रतिशत) असुरक्षित पीने योग्य जल पर निर्भर है। यद्यपि 18.25 प्रतिशत आबादी के परिसरों में जल उपलब्ध है तथापि वह अशोधित जल है, जिससे जल-जनित रोग होने की संभावना अधिक है। विभिन्न शहरों के मध्य जल प्रदाय की पहुंच में काफी अंतर है। (तालिका 12.3)

तालिका 12.3
जल प्रदाय तक पहुंच

विवरण		परिवार	प्रतिशत
शोधित जल प्रदाय	परिसर में	3,42,844	27.67
	परिसर के पास	1,68,953	13.64
	परिसर से दूर	35,800	2.89
	कुल	**5,47,597**	**44.20**
अशोधित जल प्रदाय	परिसर में	88,959	7.18
	परिसर के पास	1,14,077	9.21
	परिसर से दूर	22,975	1.85
	कुल	**2,26,011**	**18.25**
अन्य स्रोतों से जल प्रदाय	परिसर में	18,352	14.82
	परिसर के पास	1,80,545	14.57
	परिसर से दूर	1,01,062	8.16
	कुल	**4,65,130**	**37.55**

स्रोत - जनगणना 2011

12.4 चयनित 9 शहरों में अमृत मिशन के अंतर्गत वर्ष 2015 से वर्ष 2020 के लिए रू. 1185 करोड़, शत् प्रतिशत जल प्रदाय हेतु स्वीकृत किया गया है। राज्य की स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत 24 x 7 घंटे मीटर के माध्यम से सतत् जल प्रदाय सुनिश्चित किए जाने का लक्ष्य है। इससे न सिर्फ जल प्रदाय सेवा सुनिश्चित हो सकेगी बल्कि एक समान निर्धारित राशि लेने के स्थान पर जल प्रदाय के उपयोग के आधार पर राजस्व की

वसूली की जा सकेगी। इस दिशा में कार्य की प्रगति बहुत धीमी है। इस कार्य हेतु सर्वेक्षण कर विस्तृत प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है।

12.5 भागीरथी नल जल योजना एक अभिनव पहल है, जो राज्य में प्रत्येक परिवार को नल कनेक्शन दिए जाने हेतु प्रारंभ की गई है। इस हेतु 257093 नल कनेक्शन का लक्ष्य निर्धारित है। इस योजना के अंतर्गत रू. 7712.79 लाख की राशि स्वीकृत की जा चुकी है, जिसमें से रू. 4197.67 लाख की राशि 161617 नल कनेक्शन पर खर्च की जा चुकी है। राज्य में 34.34 प्रतिशत परिवारों को ही योजना में जल आपूर्ति हो रही है। भागीरथी नल-जल योजना के अंतर्गत अधिकारियों से चर्चा के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि नल कनेक्शन जो दिये गये हैं और वास्तव में इन कनेक्शनों से जो जल प्राप्त कर रहे हैं की संख्या में विसंगति है। इसका प्रमुख कारण यह है कि कई क्षेत्रों में मुख्य पाईप लाईन बिछाई नहीं गई है जिससे परिवारों के नल कनेक्शन को जोड़ा जा सके। इसके कारण नल कनेक्शन मांगने वाले लोगों के आवेदनों में गिरावट आई है। इस परिदृश्य में सुधार के लिए सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है, जिससे ऐसी संपत्तियों/परिवारों/परिसरों को चिन्हित किया जा रहा है जो इन कनेक्शन को प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं। मुख्य पाईप लाईन बिछाने का कार्य भी साथ-साथ किया जा रहा है। कुल मिलाकर वर्तमान आंकड़ों के अनुसार जल प्रदाय का परिदृश्य काफी धुंधला है।

12.6 सेवा स्तर बेंचमार्क के अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन की अधिसूचना के अनुसार नगर पालिक निगमों में परिवारों के परिसरों में जल प्रदाय 48.10 प्रतिशत, नगर पालिकाओं में 37.56 प्रतिशत एवं नगर पंचायतों में 31.45 प्रतिशत है। नगरीय निकायों में जल प्रदाय सेवा के आंकड़ों में अत्यधिक अंतर है। जहां एक ओर गौरेला नगर पंचायत में जल प्रदाय अधिकतम 99 प्रतिशत है, वहीं तखतपुर नगर पालिका परिषद एवं भटगांव (सरगुजा) नगर पंचायत में यह न्यूनतम 1 प्रतिशत है। सेवा स्तर बेंचमार्क की अधिसूचना के अनुसार जल प्रदाय सेवा के दर्शित आंकड़े शत्-प्रतिशत शोधित जल प्रदाय के हैं। अधिकतर प्रकरणों में औसतन 80 प्रतिशत शोधित जल प्रदाय किया जा रहा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान स्थिति में काफी सुधार आया है।

12.7 सेवा स्तर बेंचमार्क की अधिसूचना नगर पालिक निगम एवं नगर पालिका परिषदों में पेयजल आपूर्ति के अनेक चिन्ताजनक मुद्दों को सामने लाती है जो निम्नानुसार है :-

1. नगरीय स्थानीय निकाय का प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जल प्रदाय औसतन लगभग 68.35 लीटर है जो कि निर्धारित मापदण्ड प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जल प्रदाय 135 लीटर का आधा है।
2. मीटर प्रणाली का अस्तित्व नहीं के बराबर है।
3. निःशुल्क दिये जा रहे जल प्रदाय की मात्रा अधिकांश स्थानों में 50 प्रतिशत से भी अधिक है, जबकि इसके लिए मापदण्ड 20 प्रतिशत निर्धारित है।
4. जल प्रदाय की अवधि 3 से 4 घंटे प्रतिदिन है, जबकि निर्धारित मापदण्ड 24 x 7 घंटे जल प्रदाय का है। यह लोक-स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जगदलपुर में जल प्रदाय की अवधि 8 घंटे प्रतिदिन है, जो सर्वाधिक है।
5. अनुरक्षण और संचालन लागत का लगभग 37 प्रतिशत वसूल किया जाता है, जिससे नगरीय स्थानीय निकायों के सामान्य कोष से भारी राज सहायता (सब्सिडी) देनी पड़ती है।
6. जल प्रदाय शुल्क की वसूली की क्षमता केवल 51.74 प्रतिशत है।

तालिका 12.4
जल प्रदाय सेवा के स्तरों का मानदण्ड

सूचकांक	मानदण्ड	इकाई	वर्तमान स्तर (औसत)	कमी (औसत)
कवरेज	100	प्रतिशत	34.34	65.66
प्रति व्यक्ति जल प्रदाय	135	लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन	68.35	31.65
मीटर व्यवस्था	100	प्रतिशत	0.10	99.90
निःशुल्क जल प्रदाय	20	प्रतिशत	47.40	- 27.40
जल प्रदाय की अवधि	24X7	घंटे	2.70	21.30
गुणवत्ता	100	प्रतिशत	85.19	14.81
लागत की वसूली	100	प्रतिशत	36.95	63.05
संग्रहण/वसूली क्षमता	100	प्रतिशत	51.74	48.26

स्रोत - सेवा स्तर बेंचमार्क की अधिसूचना छत्तीसगढ़ शासन

12.8 तालिका 12.4 में दर्शित वर्तमान स्तर सभी नगरीय स्थानीय निकायों का औसत है, जिससे स्पष्ट है कि बेंचमार्क के निर्धारित मापदण्डों और वास्तविक उपलब्धियों के मध्य काफी अंतर है। यह निश्चित ही प्रभावी एवं सतत् जल प्रदाय सेवा प्रदाय कार्य के संपादन में सुधार की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

सीवरेज (गंदे पानी का निकास)

12.9 सेवा स्तर बेंचमार्क की अधिसूचना के अनुसार केवल एक नगरीय स्थानीय निकाय बिलासपुर में 5.7 प्रतिशत क्षेत्र से सीवरेज का निकास होता है। सभी नगरीय स्थानीय निकायों में सीवरेज के निकास में बहुत अधिक अंतर है। गंदे पानी के शोधन, री-सायक्लिंग एवं पुर्नउपयोग की कोई व्यवस्था नहीं है और लागत की वसूली भी केवल 5.7 प्रतिशत है जो कि नगण्य है। तालिका 12.5 विभिन्न नगरीय निकायों द्वारा गंदे पानी के निकास की वास्तविक उपलब्धि को दर्शाती है, जो सेवा स्तर बेंचमार्क हेतु निर्धारित विभिन्न सूचकांकों पर आधारित है।

तालिका 12.5
सीवरेज : सेवा स्तर बेंचमार्क के मानदण्ड (वर्ष 2016-17)

सूचकांक	बेंचमार्क	इकाई	वर्तमान स्तर	कमी
शौचालयों की उपलब्धता	100.00	प्रतिशत	82.72	17.28
नेटवर्क की उपलब्धता	100.00	प्रतिशत	0.03	99.97
गंदे पानी संग्रहण की क्षमता	100.00	प्रतिशत	0.00	100.00
शोधन की पर्याप्तता	100.00	प्रतिशत	0.00	100.00
गुणवत्ता	100.00	प्रतिशत	0.00	100.00
री-सायकल एवं पुर्नउपयोग	20.00	प्रतिशत	0.00	100.00
निवारण	100.00	प्रतिशत	78.39	21.61
लागत वसूली	100.00	प्रतिशत	5.72	94.28

स्रोत - छत्तीसगढ़ शासन सेवा स्तर बेंचमार्क अधिसूचना

अमृत मिशन के अंतर्गत सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन के लिए कोष का प्रावधान किया गया है। इस क्षेत्र में शोधन तंत्र के लिए वैकल्पिक विधि यथा विकेन्द्रीकृत शोधन तंत्र की संभावनाओं पर कार्य किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। तालिका 12.2 में मिशन शहरों में विभिन्न मदों में राशि के प्रावधानों की स्थिति दर्शायी गई है। तालिका 12.6 सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन में की गई प्रगति को दर्शाती है।

तालिका 12.6
सीवरेज एवं सेप्टेज प्रबंधन : अमृत मिशन के अंतर्गत की गई प्रगति (वर्ष 2016-17)

क्र.	स्थानीय नगरीय निकाय	अनुमोदित SAAP		DPR (हाँ/ना)	SLTC (हाँ/ना)	कार्यादेश (हाँ/ना)	क्रियान्वयन प्रगति		राशि का वितरण (करोड़ रूपये में)
		योजना का नाम	राशि (करोड़ रूपये में)				भौतिक (%)	वित्तीय (%)	
1	भिलाई	सेप्टेज प्रबंधन	18.44	ना	ना	ना	लागू नहीं	लागू नहीं	3.20
		सेप्टेज प्रबंधन हेतु उपकरणों की प्राप्ति	1.56	हाँ	हाँ	हाँ	45	40	
2	कोरबा	सेप्टेज प्रबंधन	17.00	ना	ना	ना	लागू नहीं	लागू नहीं	2.88
		सेप्टेज प्रबंधन हेतु उपकरणों की प्राप्ति	1.00	हाँ	हाँ	हाँ	55	50	
3	बिलासपुर	सेप्टेज प्रबंधन	20.44	ना	ना	ना	लागू नहीं	लागू नहीं	3.49
		सेप्टेज प्रबंधन हेतु उपकरणों की प्राप्ति	1.35	हाँ	हाँ	हाँ	55	50	
4	राजनांदगांव	सेप्टेज प्रबंधन	11.78	हाँ	हाँ	ना	लागू नहीं	लागू नहीं	1.92
		सेप्टेज प्रबंधन हेतु उपकरणों की प्राप्ति	0.77	हाँ	हाँ	हाँ	40	40	
5	रायपुर	सीवरेज	320.65	हाँ	हाँ	हाँ	39	30	48.49
		सेप्टेज प्रबंधन	7.99	ना	ना	ना	लागू नहीं	लागू नहीं	
		सेप्टेज प्रबंधन हेतु उपकरणों की प्राप्ति	2.01	ना	ना	ना	लागू नहीं	लागू नहीं	
6	जगदलपुर	सेप्टेज प्रबंधन	9.34	ना	ना	ना	लागू नहीं	लागू नहीं	1.60
		सेप्टेज प्रबंधन हेतु उपकरणों की प्राप्ति	0.66	हाँ	हाँ	हाँ	41	35	
7	अम्बिकापुर	सेप्टेज प्रबंधन	5.80	ना	ना	ना	लागू नहीं	लागू नहीं	0.96
		सेप्टेज प्रबंधन हेतु उपकरणों की प्राप्ति	0.20	हाँ	हाँ	हाँ	60	52	
8	दुर्ग	सेप्टेज प्रबंधन	14.80	ना	ना	ना	लागू नहीं	लागू	2.40

								नहीं	
		सेप्टेज प्रबंधन हेतु उपकरणों की प्राप्ति	0.20	हाँ	हाँ	हाँ	39	30	
9	रायगढ़	सेप्टेज प्रबंधन	9.34	ना	ना	ना	लागू नहीं	लागू नहीं	1.60
		सेप्टेज प्रबंधन हेतु उपकरणों की प्राप्ति	0.66	हाँ	हाँ	हाँ	36	30	
	योग		**443.99**						**66.54**

स्रोत - अमृत मिशन हेतु राज्य की वार्षिक कार्ययोजना 2017-20

शौचालय

शौचालय स्वच्छ एवं सुरक्षित जन स्वास्थ्य का एक आवश्यक अंग है। खुले में शौच की प्रथा को रोकने के लिए प्राधिकारियों के द्वारा विभिन्न कदम उठाये गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजनाओं के अंतर्गत नगरीय स्थानीय निकायों ने सक्रियता से भाग लेते हुए जन सामान्य को शौचालयों के उपयोग एवं निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया है।

छत्तीसगढ़ के नगरीय क्षेत्रों में जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार केवल 60.2 प्रतिशत परिवारों को उनके परिसर में शौचालय उपलब्ध थे। 5.4 प्रतिशत परिवार सामुदायिक, सार्वजनिक शौचालयों पर निर्भर थे। शेष 34.4 प्रतिशत परिवारों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण वे खुले में शौच करते थे और निश्चय ही इस कारण होने वाली अनेक समस्याओं का सामना करते थे।

स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत अधिकृत सर्वेक्षण यह दर्शाते हैं कि 2,41,000 परिवारों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। स्वच्छ भारत मिशन की पहल से निजी शौचालय बनाने हेतु 20000 रूपये प्रति सीट का आबंटन किया गया, इसमें 4000 रूपये राज्यांश है एवं शेष राशि केन्द्र शासन द्वारा दी जाती है। यह उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत निजी, सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों के निर्माण प्राथमिकता के आधार पर किए गए हैं। 2,41,000 शौचालय विहीन परिवारों में से 20 प्रतिशत परिवारों को स्थान एवं नल कनेक्शन के अभाव आदि कारणों से निजी शौचालय उपलब्ध कराना संभव नहीं है। अतः उनके उपयोग के लिए सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय बनाये गए हैं।

यह बात ध्यान देने योग्य है कि छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रभावी पहल के माध्यम से खुले में शौच मुक्त राज्य बनाने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। राज्य की अधिकांश जनसंख्या को शौचालय सुविधा जिसमें निजी एवं सामुदायिक शौचालय शामिल है, उपलब्ध कराये गये हैं। साथ ही पूर्व से उपलब्ध सार्वजनिक शौचालयों का जीर्णोद्धार कर उन्हें मानक स्तर तक लाया गया है।

12.10 यद्यपि शौचालय सुविधा में अत्यधिक वृद्धि हुई है तथापि गंदे पानी की निकासी अब भी एक मुख्य समस्या बनी हुई है। वर्तमान में वैज्ञानिक निराकरण विधि का उपयोग किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। सुरक्षित निराकरण के 72 प्रतिशत के राष्ट्रीय आंकड़ें की तुलना में राज्य की स्थिति अच्छी नहीं है। नगरीय जनसंख्या जिन्हें शौचालय सुविधा उपलब्ध है, केवल 15 प्रतिशत ही सीवरेज प्रणाली से जुड़े हुए हैं। सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन, अमृत मिशन के अंतर्गत केन्द्रीय महत्व का विषय है जिसे छत्तीसगढ़ में भी विशेष महत्व दिया जा रहा है।

तालिका 12.7
सीवरेज हेतु सेवा स्तर बेंचमार्क सूचकांक (वर्ष 2016-17)

सूचकांक	मानदण्ड	इकाई	वर्तमान स्तर	कमी
शौचालयों की उपलब्धता	100.00	प्रतिशत	82.72	17.28
नेटवर्क की उपलब्धता	100.00	प्रतिशत	0.03	99.97
गंदे पानी संग्रहण की क्षमता	100.00	प्रतिशत	0.00	100.00
शोधन की पर्याप्तता	100.00	प्रतिशत	0.00	100.00
गुणवत्ता	100.00	प्रतिशत	0.00	100.00
री-सायकल एवं पुर्नउपयोग	20.00	प्रतिशत	0.00	100.00
निवारण	100.00	प्रतिशत	78.39	21.61
लागत वसूली	100.00	प्रतिशत	5.72	94.28

स्रोत - अमृत मिशन हेतु राज्य की वार्षिक कार्ययोजना 2017-20

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि सीवरेज और सेप्टेज की संग्रहण क्षमता और उनके शोधन में शत्-प्रतिशत कमी है। केन्द्र शासन के नियमों के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट एवं मल की सफाई हाथ से किया जाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। नगरीय स्थानीय निकायों में नमूने के तौर पर स्थल निरीक्षण करने पर यह पाया गया कि वर्तमान में सेप्टेज को सेप्टीक टैंक से निकाल कर उसे कस्बे/शहर की सीमाओं के बाहर या तो खुली जगह में फेंका जाता है या जल प्रवाह में डाला जाता है। ठोस अपशिष्ट के इस प्रकार के निराकरण से जनस्वास्थ्य को भारी खतरा है।

अमृत मिशन के अंतर्गत चयनित नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा कीचड़युक्त मल एवं सेप्टेज के निराकरण में विकेन्द्रीकृत प्रणाली का अनुसरण प्रारम्भ किया गया है। अंबिकापुर नगर पालिक निगम द्वारा इस मिशन के अंतर्गत 20 किलो लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले एक कीचड़युक्त मल प्रबंधन संयंत्र की स्थापना के लिए कार्य योजना बनाने के लिए राशि का निवेश किया गया है। इस योजना के लिए रू. 1.20 करोड़ का अनुमोदन किया गया है, जिसमें से प्रथम चरण के लिए 60 लाख रूपये स्वीकृत किये गये हैं। ऐसी तकनीक को अन्य स्थानों पर लागू कर सीवरेज शोधन के क्षेत्र में वर्तमान स्थिति से ऊपर उठते हुए निर्धारित मानक स्तरों तक पहुंचा जा सकता है। यह स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालयों की उपलब्धता और वैज्ञानिक विधि से अपशिष्ट का शोधन एवं निराकरण के निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति में भी सहायक सिद्ध होगा।

प्रारंभिक तौर पर अमृत मिशन के अंतर्गत चयनित 9 शहरों में विकेन्द्रीकृत कीचड़युक्त मल एवं सेप्टेज प्रबंधन के क्रियान्वयन को लक्षित किया गया है। इस हेतु वर्ष 2015-16 में रू. 122.79 करोड़ एवं वर्ष 2016-17 में रू. 320.65 करोड़ स्वीकृत किये गये। अमृत मिशन योजना वर्ष 2015-2020 की अवधि में सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन के सेवा प्रदाय के स्तर में सुधार हेतु कुल लगभग रू. 764.08 करोड़ स्वीकृत किये गये हैं।

गंदे पानी का निकास (ड्रेनेज)

12.11 सेवा स्तर बेंचमार्क अधिसूचना के अनुसार समस्त 168 स्थानीय नगरीय निकायों के लगभग 21.74 प्रतिशत क्षेत्र में ही गंदे पानी की निकासी की सुविधा उपलब्ध है।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

12.12 स्वच्छ भारत मिशन एवं छत्तीसगढ़ शासन की स्वच्छ शहर योजना के अंतर्गत गहन प्रयास करते हुए सेवा स्तर बेंचमार्क के मानकों को प्राप्त किया गया है। इस क्षेत्र में नगर पालिक निगम अंबिकापुर को प्रेरणास्रोत के रूप में देखा जाता है। राज्य के 168 नगरीय स्थानीय निकायों में से 165 निकाय अंबिकापुर द्वारा अपनाये गये मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत रू. 131.53 करोड़ की राशि आबंटित की गई है जिसमें से रू. 57.79 करोड़ की राशि जारी की जा चुकी है।

इस मॉडल के अंतर्गत दिसम्बर 2017 के प्रथम सप्ताह में 165 नगरीय स्थानीय निकायों के प्रत्येक परिवार को दो प्रकार के डस्टबीन, एक गीले कचरे के लिए और दूसरा सूखे कचरे के लिए दिए गए हैं। अनेक नगरीय स्थानीय निकायों में महिला स्व सहायता समूहों द्वारा इस प्रकार पृथक-पृथक रखे गये कचरे को घर-घर से संग्रहित किया जाता है। आवश्यक उपकरण यथा वर्दी, दस्ताने एवं सायकल रिक्शा क्रय करने के लिए लगभग रू. 75.14 करोड़ स्वीकृत किये गये हैं।

एकत्रित किया गया कचरा, ठोस एवं तरल स्रोत प्रबंधन केन्द्र तक लाया जाता, जहां उनको निर्धारित मापदण्डों के अनुसार पुनः पृथक किया जाता है। प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक पृथककरण पश्चात् जैविक कचरा, विशेष खाद बनाने वाले गड्ढों में डाला जाता है जहां कम्पोस्ट खाद बनती है। अकार्बनिक/अजैविक कचरा वैज्ञानिक तरीके से निराकृत किया जाता है। इस हेतु राशि की व्यवस्था स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत मिशन क्लीन सिटी मद से किए जाने का प्रावधान है।

12.13 प्रभावी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन - कचरे का संग्रहण, पृथककरण, परिवहन एवं निराकरण नगरीय स्थानीय निकायों के महत्वपूर्ण कार्य हैं। सेवा स्तर बेंचमार्क अधिसूचना के अनुसार वर्तमान में केवल 27 प्रतिशत परिवार ही इस दायरे में आते हैं, जिनकी संग्रहण क्षमता 85.04 प्रतिशत है जो तालिका 12.8 से स्पष्ट होती है। यह संग्रहण क्षमता अपेक्षाकृत अच्छी है, परन्तु ऐसे प्रयास किये जाने चाहिए कि यह सुविधा सभी नगरीय स्थानीय निकायों के अधिकतम क्षेत्रों में उपलब्ध हो सके। नगरीय स्थानीय निकाय इस बात को महत्व दे रहे हैं कि कचरे का पृथककरण प्रारंभिक स्रोत पर, घर-घर से कचरा उठाते समय ही हो जाये। ठोस एवं तरल स्रोत प्रबंधन केन्द्र के निर्माण से स्व-सहायता समूहों के सदस्यों को भविष्य में पृथककरण करने हेतु अच्छी आधारभूत संरचना उपलब्ध होगी।

तालिका 12.8
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (वर्ष 2016-17)

सूचकांक	बेंचमार्क	इकाई	वर्तमान स्तर	कमी
घर-घर से कचरा संग्रहण का क्षेत्र	100	प्रतिशत	27.10	72.90
कचरा संग्रहण की क्षमता	100	प्रतिशत	85.00	15.00
छँटनी का विस्तार	100	प्रतिशत	0.77	99.23
प्रत्युद्धकरण का विस्तार	80	प्रतिशत	1.05	78.95
वैज्ञानिक निपटारा	100	प्रतिशत	0.34	99.66
लागत वसूली	100	प्रतिशत	23.41	76.59

स्रोत - सेवा स्तर बेंचमार्क अधिसूचना छत्तीसगढ़ शासन वर्ष 2016-17

12.14 नगरीय निकायों में अन्य सभी सूचकांकों में भारी भिन्नता है जो उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है। प्रारंभ में वैज्ञानिक निपटारा एवं कम्पोस्ट खाद बनाने से यह स्वयं के उपयोग में आयेगी और कालान्तर में अधिक दक्षता हासिल करने पर खाद के वाणिज्यिक विपणन से आय के अतिरिक्त साधन भी उत्पन्न होंगे, जैसा अंबिकापुर में हो रहा है। स्वच्छ अंबिकापुर मिशन को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देकर पुरस्कृत किया गया है।

रायपुर नगर पालिक निगम में आधारभूत संरचना

12.15 छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाला राज्य का एक मात्र नगर है। राजनैतिक एवं प्रशासनिक केन्द्र के रूप में इसका अपना एक विशिष्ट स्थान है। रायपुर की आधारभूत संरचना के चुने हुए सूचकांकों और राज्य के औसत सूचकांकों के मध्य तुलनात्मक विश्लेषण तालिका 12.9 में दर्शित है।

तालिका 12.9

रायपुर नगर पालिक निगम में आधारभूत संरचना के चुने हुए सूचकांको का विवरण

सूचकांक	बेंचमार्क	रायपुर (वर्ष 2016-17)	राज्य (वर्ष 2016-17)
जल प्रदाय			
नल कनेक्शन की उपलब्धता	100 प्रतिशत	43.70	34.34
प्रति व्यक्ति प्रतिदिन प्रदाय	135 लीटर	76.40	68.00
कनेक्शन में मीटरों की स्थिति	100 प्रतिशत	10.80	0.10
निःशुल्क जल प्रदाय	20 प्रतिशत	53.10	65.00
जल प्रदाय की निरंतरता	24 घंटे	3.00	2.72
लागत वसूली	100 प्रतिशत	94.50	36.95
कर संग्रहण की क्षमता	90 प्रतिशत	74.90	51.74
सीवरेज			
शौचालयों की उपलब्धता	100 प्रतिशत	92.90	82.72
गंदे पानी निकासी हेतु नालियाँ	100 प्रतिशत	0	0.03
पुर्नचक्रण एवं पुर्नउपयोग	20 प्रतिशत	0	0
संग्रहण क्षमता	90 प्रतिशत	0	0
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन			
घर-घर से संग्रहण	100 प्रतिशत	71.20	27.00
संग्रहण की क्षमता	100 प्रतिशत	97.31	85.04
छँटनी का विस्तार	100 प्रतिशत	0.41	0.77
कचरे का प्रत्युद्धकरण	80 प्रतिशत	0	1.05
वैज्ञानिक निपटारे का विस्तार	100 प्रतिशत	0	0.34
लागत वसूली	100 प्रतिशत	43.77	23.41
संग्रहण की क्षमता	90 प्रतिशत	94.37	52.57
वर्षा जल निकासी			
व्याप्तता	100 प्रतिशत	37.58	21.74

स्रोत - छत्तीसगढ़ शासन सेवा स्तर बेंचमार्क अधिसूचना वर्ष 2016-17

12.16 स्मार्ट सिटी कार्यक्रम

स्मार्ट सिटी मिशन नगरों के नवीनीकरण एवं पुर्नसंयोजन हेतु केन्द्र शासन द्वारा चलाया गया एक अभियान है, जिसके अंतर्गत पूरे देश में 100 शहरों का समुचित विकास कर उन्हें नागरिक हितैषी एवं टिकाऊ बनाना है। केन्द्र शासन का शहरी विकास मंत्रालय, चुने हुए नगरों से संबंधित राज्य के सहयोग से इस योजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी रहेगा।

स्मार्ट सिटी मिशन की अवधारणा यह है कि भारत के 100 शहरों में आदर्श रूप में क्षेत्र विकास योजनाएं बनायी जाये जिससे उसी शहर के अन्य भागों में एवं आस-पास के शहरों में इस प्रकार का विकास करने की पहल जागृत हो। स्मार्ट सिटी चुनौतियों के आधार पर एक राष्ट्रव्यापी प्रतिस्पर्धा में 100 शहरों का चयन किया गया था। इन शहरों को केन्द्र शासन एवं राज्य शासन द्वारा वित्तीय सहायता वर्ष 2017-2022 के मध्य दी जायेगी और अभियान के परिणाम वर्ष 2022 से दिखाई देना प्रारंभ हो जाएंगे।

छत्तीसगढ़ राज्य में रायपुर, नया रायपुर एवं बिलासपुर शहर स्मार्ट सिटी के रूप में घोषित किये गए हैं। इस योजना के अंतर्गत जिन क्षेत्रों में पहल कर कार्य किया जाएगा, वे विविधतापूर्ण हैं जिनमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जल प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन सुविधा का सुधार एवं ई-गर्वनेंस शामिल हैं। प्रत्येक शहर के क्षेत्र विशेष और पूरे शहर की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकास की योजना बनाई जाएंगी।

नया रायपुर

नया रायपुर भारत की सर्वप्रथम पर्यावरण हितैषी स्मार्ट सिटी है। विभिन्न स्तरों पर विचार विमर्श के बाद नगर विकास योजना 2031 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए इसे विकसित किया जा रहा है। नया रायपुर क्षेत्र में 100 कि.मी. से अधिक अत्याधुनिक चार एवं छः लेन की सड़कें बनायी जा रही हैं जिनके साथ ही 53 कि. मी. सड़कें ऐसी हैं जिन पर मोटर से चलने वाले वाहन प्रतिबंधित हैं। स्वच्छ शोधित जल प्रदाय प्रेसराईज्ड हाईड्रो न्यूमेटिक पंपिग द्वारा 24x7 सुनिश्चित किया गया है। इस शोधन क्षमता वाले संयंत्र से 520 लाख लीटर जल प्रतिदिन प्राप्त होगा। यह एक शून्य जल उत्सर्जन वाला शहर होगा, जिसमें चार विकेन्द्रीकृत दूषित जल शोधन संयंत्र लगे होंगे जिनसे पानी री-सायकल कर हरियाली की सिंचाई के लिए उपयोग में लाया जायेगा।

शहर में सी.सी.टी.वी. कैमरों के उपयोग से निगरानी की जाएगी। परिवहन व्यवस्था में गति एवं दुर्घटना पर नजर रखी जा सकेगी। सुपरवाईजरी कंट्रोल एण्ड डाटा एक्विजीशन (स्काडा) प्रणाली का उपयोग विद्युत वितरण व्यवस्था, जल प्रदाय एवं सीवरेज सिस्टम हेतु किया जायेगा। स्मार्ट सिटी के रूप में नया रायपुर का चयन होने से एक ओर जहां सामुदायिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली व्यवस्थाओं जैसे सामुदायिक शालाएं, शालाओं का उन्नयन, सस्ते मकान, वर्तमान भवनों में हरियाली की उपलब्धता एवं पार्क इत्यादि, वहीं दूसरी ओर आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ करने वाली व्यवस्थाओं जैसे माइक्रोग्रीड, सौर ऊर्जा, स्मार्ट मीटरिंग, रैनवाटर हार्वेस्टिंग, जल की गुणवत्ता को किसी भी समय नापने की सुविधा आदि कार्यक्रमों को योजनाबद्ध तरीके से लागू किया जा सकेगा।

नया रायपुर की स्मार्ट सिटी के रूप में घोषणा होने के पश्चात् एक स्पेशल पर्पस व्हीकल (एस.पी.व्ही.) का गठन किया गया है जो योजनाओं के वित्तीय पक्ष का प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वयन करेगा। यह एस.पी.व्ही. परियोजना विकास, अधोसंरचना सुधार, सुविधाओं एवं सेवाओं के परिचालन और भवनों के नक्शों की स्वीकृति, विज्ञापन एवं संपत्ति कर आदि सभी बिन्दुओं पर नियामक के एकल बिन्दु के रूप में कार्य करेगा।

नया रायपुर के सतत् विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू नागरिकों की निरंतर सहभागिता है। अधिकारियों की नागरिकों से सहभागिता विभिन्न माध्यमों यथा सोशल मीडिया ऍप, माई गर्वन्मेंट ऍप, सर्वेक्षण फार्म एवं प्रत्यक्ष संवाद के माध्यम से विकसित की जा रही है।

नया रायपुर में डिजिटल सिटी प्लेटफॉर्म, स्मार्ट गर्वनेंस, स्मार्ट यूटिलिटी, नेटवर्क एवं निगरानी तथा यातायात प्रबंधन को पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में लेकर उसमें निवेश किया जा रहा है। कुल मिलाकर इसे एक डिजिटल सिटी के रूप में विकसित करने की योजना है जिससे नागरिकों और अतिथियों को नगदी रहित, कागज रहित एवं बिना व्यक्तिगत उपस्थिति के सेवाओं का लाभ मिल सके।

पूरे शहर की जानकारी एवं संचार तकनीक के उपयोग की अवधारणा के पीछे यह मंशा है कि निगरानी, यातायात प्रबंधन एवं सार्वजनिक वाई-फाई की सुविधा नागरिकों को मिल सके एवं शेष घटक जैसे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्वास्थ्य सुविधाएं, आयोजन प्रबंधन आदि का भुगतान एकल कार्ड से हो सके। इसके अतिरिक्त अन्य योजनाएं भी ली जानी चाहिए जिससे शहर समावेशी, समाज एवं पर्यावरण हितैषी हो सके एवं नागरिकों और

अतिथियों को एक बेहतर जीवन शैली उपलब्ध हो। परियोजना लागत इस प्रकार है- क्षेत्र आधारित विकास पर रू. 1262.92 करोड़ एवं सकल नगर विकास पर रू. 415.70 करोड़।

रायपुर

राज्य की राजधानी रायपुर शहर में स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत क्षेत्र आधारित विकास एवं सकल नगर विकास के लिए विभिन्न विषयों पर पहल करते हुए ध्यान केन्द्रित किया गया है। इनमें स्वच्छता से लेकर नगदी रहित लेन-देन तक के विषय समाविष्ट हैं। क्षेत्र आधारित विकास परियोजनाओं एवं सकल नगर विकास परियोजनाओं हेतु कुल रू. 3939.42 करोड़ रूपये की लागत का अनुमान है, जिसमें क्षेत्र आधारित विकास पर रू. 3654.52 करोड़ एवं सकल नगर विकास हेतु रू. 284.90 करोड़ अनुमानित है। रायपुर को स्मार्ट सिटी बनाने हेतु क्षेत्र आधारित विकास योजनाओं में 18 विषयों और सकल नगर विकास योजनाओं में 3 विषयों को चयनित किया गया है। इन चयनित योजनाओं को विभिन्न घटकों के रूप में रखा गया है जिससे परियोजनाओं का समय पर क्रियान्यवन हो सके।

बिलासपुर

बिलासपुर को भी केन्द्र के स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल किया गया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग शीघ्र ही एकीकृत ठोस अपशिष्ट योजना के क्रियान्वयन की कार्यवाही प्रारम्भ करेगा। यह योजना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशीप मॉडल के रूप में लागू की जाएगी। बिलासपुर स्मार्ट सिटी परियोजना की कुल लागत रू. 3966.32 करोड़ है, जिसमें शहर के हृदय स्थल में स्थित पुराने 1041 एकड़ क्षेत्र का पुनरूद्धार विकास मॉडल के रूप में किया जाएगा। नागरिकों से गहन विचार विमर्श एवं वृहद सहभागिता के आधार पर शहर की संपूर्ण आधारभूत संरचना एवं परियोजना को अंतिम रूप दिया गया है। तद्नुसार बिलासपुर को स्मार्ट सिटी बनाने हेतु 55 परियोजनाएं क्षेत्र आधारित विकास एवं 15 परियोजनाएं सकल नगर विकास हेतु चिन्हित की गई हैं। योजना पर अनुमानित व्यय इस प्रकार है - क्षेत्र आधारित परियोजना हेतु रू. 3662.82 करोड़ एवं सकल नगर विकास परियोजना हेतु रू. 303.50 करोड़।

12.17 ध्यानाकर्षण के विषय

राज्य की विभिन्न नगर पालिक निगमों तथा नगर पालिका परिषदों में अधोसंरचना की वर्तमान स्थिति को भलीभाँति समझने के लिए इन्हें क, ख, ग, घ समूहों में बांटा गया है। क का अर्थ है बेहतर स्थिति जबकि घ का अर्थ है दयनीय स्थिति, जिस पर शीघ्र ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। ख और ग मध्यवर्ती स्थिति के सूचक हैं, जिनके उन्नयन की आवश्यकता है। इस वर्गीकरण के पैमानों का विवरण **परिशिष्ट 12.1** में तथा प्रत्येक समूह के अंतर्गत आने वाले निकायों की संख्या **परिशिष्ट 12.2** में दर्शायी गई है।

सेवा स्तर बेंचमार्क की नवीनतम अधिसूचना के अनुसार कतिपय क्षेत्रों मे, जैसे घर-घर से कचरा एकत्र करना और उनकी छँटाई, लागत व्यय की वसूली और जल प्रदाय योजना में सुधार दिखाई देता है।

परन्तु कुछ क्षेत्रों में, जैसे गंदे पानी का वैज्ञानिक निराकरण एवं शोधन, ठोस अपशिष्ट का पुर्नचक्रण एवं पुर्नउपयोग की स्थिति चिंताजनक है। इसी प्रकार जलप्रदाय योजना में मीटर लगाया जाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसके अभाव में नगरीय निकायों को अत्यधिक आर्थिक क्षति होती है। यह ज्ञात हुआ है कि रायपुर नगर पालिक निगम ने कुछ स्थानों में मीटर लगाए हैं, लेकिन उनका उपयोग खपत आधारित आयतन पर न होकर एक निश्चित स्लैब की दर से गणना में किया जा रहा है। इसी प्रकार निःशुल्क जल प्रदाय किया जाना भी एक चिन्ता का विषय है। जिसके कारण निर्धारित मापदण्ड से उपलब्धियां बहुत कम हैं।

आयोग का यह अवलोकन है कि तेजी से विकसित हो रहे छत्तीसगढ़ के नगर जैसे- रायपुर, बिलासपुर, भिलाई-दुर्ग, जगदलपुर, रायगढ़, अम्बिकापुर में बहुमंजलीय इमारतों की भारी कमी है। ऊँची लागत की भूमि का उचित आर्थिक उपयोग नहीं हो पा रहा है। उन्नत अधोसंरचना, सेवा प्रदाय करना, सस्ती परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए सम्पूर्ण तंत्र की कार्यक्षमता का सर्वोत्तम उपयोग करना आवश्यक होगा।

आयोग की यह अनुशंसा है कि सभी बड़े शहरों में कुर्सी क्षेत्रफल (फ्लोर स्पेस इंडेक्स) सभी प्रयोजनों हेतु बढ़ाया जाना चाहिए।

12.18 नगरीय आधारभूत संरचनाओं में निवेश

द्वितीय राज्य वित्त आयोग के प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया गया है कि आधारभूत संरचनाओं एवं उनकी अनुरक्षण लागत आने वाले 20 वर्षों में अर्थात् वर्ष 2012-13 से वर्ष 2030-31 तक रू. 54,556 करोड़ होगी। यह इंडियन अरबन इन्फ्रास्ट्रकचर एण्ड सर्विस 2011 के प्रतिवेदन पर आधारित है। यह भी उल्लेखित है कि बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं और उपलब्ध अधोसंरचना के मध्य अंतर को कम करने के लिए पर्याप्त धनराशि का निवेश किया जाना चाहिए।

तालिका 12.10
निवेश की आवश्यकता (अधिनिर्णय अवधि में)

(करोड़ रूपये में)

क्रमांक	वर्ष	पूंजीगत व्यय	संचालन एवं अनुरक्षण	कुल
1	2017-18	1098.62	510.42	1609.04
2	2018-19	1230.45	555.34	1785.79
3	2019-20	1378.10	604.21	1982.31
4	2020-21	1543.48	657.38	2200.86
5	2021-22	1728.69	715.23	2443.92
	कुल	**6979.33**	**3042.58**	**10021.91**

स्रोत - रिपोर्ट ऑन इंडियन अरबन इन्फ्रास्ट्रकचर एण्ड सर्विस 2011, द्वितीय राज्य वित्त आयोग का प्रतिवेदन परिशिष्ट 15.1

12.19 उपर्युक्त तालिका के अनुसार वर्ष 2017-18 से वर्ष 2021-22 तक पूंजीगत व्यय एवं अनुरक्षण एवं संचालन व्यय कुल रू. 10021.91 करोड़ है जिसमें पूंजीगत व्यय की वृद्धि दर 12 प्रतिशत एवं संचालन एवं संधारण व्यय की वृद्धि दर 8.8 प्रतिशत है। साथ ही दोनों व्ययों में समान रूप से मुद्रास्फीति की दर 8.8 प्रतिशत मानी गई है।

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆